हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

— **अधिसूचना**

दिनांक 9 जनवरी, 2008

संख्या का० आ० 4/ह० अ० 1/2003/धा० 26/2008.—हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम 1), की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, लोकायुक्त के कृत्यों, शक्तियों, जांच और अन्वेषण, को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा लोकायुक्त कृत्य, शक्ति, जांच तथा अन्वेषण, नियम, 2008, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम 1);

(ख) "शिकायतकर्ता" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन शिकायत करता है ;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(घ) "अन्वेषण" में शामिल है, शिकायत के सम्बन्ध में कोई जांच या अन्य कार्यवाहियां किन्तु इसमें प्रारम्भिक जांच शामिल नहीं है ;

(ङ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, लोकयुक्त का रजिस्ट्रार ; तथा

(च) "धारा" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु इनमें अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमश: अधिनियम में उनको दिया गया है।

शिकायत। धारा 10 तथा 26(1)

3. इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अधिनियम के अधीन प्रत्येक शिकायत प्ररूप I में की जायेगी तथा इसकी विषय-वस्तु के समर्थन में प्ररूप II में एक शपथ पत्र संलग्न करना होगा तथा जिसमें निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) शिकायतकर्ता का नाम तथा पता :

(ख) ऐसे लोक कार्यकर्ता का नाम, कार्यालय पदनाम तथा पता जिसके विरुद्ध व्यथा या आरोप वाली शिकायत की जाती है :

(ग) की गई शिकायत/तथा आरोप की कार्रवाई की विषय-वस्तु के ब्यौरे ;

फीस।
धारा 26(1)

4. एक हजार रुपये की फीस का भुगतान शिकायत की अर्जी दायर करने के लिये न्यायिक (जूडिशियल) स्टाम्प मे किया जायेगा :

परन्तु लोकायुक्त शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, अपने विवेक से उपयुक्त मामलों में फीस के भुगतान से छूट देने की अपेक्षा कर सकता है।

इन नियमों से पूर्व दायर शिकायतें।
धारा 26(1)

5. अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद और इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व दायर की गई शिकायतें इन नियमों के अधीन दायर की गई समझी जाएंगी।

शिकायतों की संवीक्षा तथा पंजीकरण।
धारा 26(1)

6. (1) शिकायत के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार इसके विवरण शिकायत रजिस्टर में दर्ज करवाएगा ;

(2) यदि रजिस्ट्रार की राय है कि कोई ऐसी शिकायत अधिनियम या नियमो के उपबंधो के अनुरूप नहीं है, तो वह इसकी प्राप्ति की तिथि के पन्द्रह दिन के भीतर शिकायतकर्ता को प्ररूप IV में नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटि को सुधारने की अपेक्षा की जाएगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, पर्याप्त कारणों के लिए नोटिस मे विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकता है।

(3) सभी शिकायतें आदेशों के लिए लोकायुक्त के सम्मुख रखी जाएंगी किन्तु शिकायतें जिनके संबंध में कार्रवाई उप-नियम (2) के अधीन की गई है केवल नोटिस में अनुबद्ध समय की अवधि या बढ़ाई गई अवधि, जैसी भी स्थिति हो, की समाप्ति के बाद रखी जाएंगी, चाहे रजिस्ट्रार द्वारा बताई गई किसी त्रुटि का सुधार किया गया है या नहीं।

(4) उप-नियम (1) के अधीन शिकायत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, यदि शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी है तो उसे प्ररूप V में सूचना की जाएगी।

जांच के संबंध मे प्रक्रिया।
धारा 11, 12, 14, 20, 23 तथा 26(1)

7. प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण संचालित करते समय लोकायुक्त, सरकार की अनुमति से किसी एजेंसी या व्यक्ति या व्यवसायिकों, जिसमें विषय विशेषज्ञ इत्यादि शामिल हैं, को उपयुक्त फीस, के भुगतान पर रख सकता है।

साक्षियों की उपस्थिति।
धारा 26(1)

8. (1) यदि अधिनियम के अधीन कोई प्रारम्भिक जांच करते समय या किसी अन्वेषण का संचालन करते समय, लोकायुक्त स्वप्रेरणा से या आवेदन दिए जाने पर किसी व्यक्ति का, साक्ष्य देने के लिये या उसके कब्जे में किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिये, साक्षी के रूप में परीक्षण करता है, तब ऐसा व्यक्ति प्ररूप III में लोकायुक्त के कार्यालय से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा कि वह साक्ष्य इत्यादि के प्रयोजन क लिये लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित हुआ है।

(2) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अपने नियोक्ता के समक्ष प्ररूप-III में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो :—

(i) यदि वह प्राइवेट सेवा में है, तो वह ऐसी कार्रवाई/शास्ती के प्रयोजन के लिए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं समझा जाएगा जो कि अन्यथा उसकी ऐसी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप उसे दी जाती ;

(ii) यदि वह लोक सेवक है तो उस दिन अथवा तिथि जिसको वह लोकायुक्त के कार्यालय में उपस्थित हुआ, ड्यूटी पर समझा जाएगा और अपने विभाग से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा ;

(iii) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राइवेट सेवा में है अथवा किसी सेवा में नियोजित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को लोकायुक्त के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विर्निदिष्ट दरों पर वास्तविक यात्रा-भत्ते और जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

व्याख्या.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए, "प्राइवेट सेवा" से अभिप्राय है, लोकसेवा से भिन्न कोई सेवा।

वार्षिक रिपोर्ट। धारा 17(3) तथा 26(1)

9. लोकायुक्त अपनी समेकित वार्षिक रिपोर्ट में, लोकसेवक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में पारदर्शिता तथा पद के दुरूपयोग या दुर्व्यवहार में कमी को सुनिश्चित करने के लिए, सुझाव दे सकता है।

लोकायुक्त द्वारा पारित आदेशों का अधिप्रमाणन। धारा 26(1)

10. इन नियमों के अधीन लोकायुक्त द्वारा पारित तथा लोकायुक्त के नाम से निष्पादित कोई आदेश, ऐसी रीति में, जो लोकायुक्त समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अधिप्रमाणित किया जायेगा।

लोकायुक्त के अमले की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण तथा उनकी सेवा शर्तें। धारा 19 व 26(1)

11. अधिकारियों तथा अमले की भर्ती/नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो इन नियमों में संलग्न अनुसूची में दर्शाई गई हैं।

लोकायुक्त की वित्तीय शक्तियां धारा 26(1)

12. लोकायुक्त अपनी संस्था के दक्ष तथा उचित कार्य-संचालन को सरल बनाने और अन्वेषण के उचित संचालन के लिये अपने आबंटित बजट से समुचित खर्च सरकार की सहमति से उपगत करने के लिये सक्षम होगा :

परन्तु लोकायुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अपने कार्यालय के अधिकारियों में से किसी अधिकारी को अपनी वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है।

अभिलेख का निरीक्षण। धारा 15 तथा 26(1)

13. लोकायुक्त, अपने अधिकारियों या अमले में से किसी को अधिनियम के अधीन किसी जांच या अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये किन्हीं परिसरों का मुआयना करने के लिए या किसी दस्तावेज या अन्य सुसंगत अभिलेख के निरीक्षण के लिये निर्दिष्ट या प्राधिकृत कर सकता है।

अन्वेषण के सम्बन्ध मे प्रक्रिया। धारा 8, 12 तथा 26(1)

14. (1) जहां लोकायुक्त इन नियमों के अधीन कोई अन्वेषण संचालित करने का निर्णय लेता है तो, वह—

(क) शिकायत अथवा, किसी अन्वेषण के मामले में जिसे वह स्वप्रेरणा से संचालित करने का प्रस्ताव करता है, उसके आधारों को बताते हुये कथन की एक प्रति समबद्ध लोक कृत्यकारी तथा सक्षम पाधिकारी को प्ररूप VI में प्रेषित करेगा;

(ख) सम्बद्ध लोक कृत्यकारी को, ऐसी शिकायत अथवा कथन पर अपनी टीका-टिप्पणी प्ररूप-VII में पेश करने का अवसर प्रदान करेगा ; और

(ग) अन्वेषण के सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के सम्बन्ध में ऐसे आदेश कर सकता है, जो वह उचित समझे।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22) के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक ऐसा अन्वेषण प्राईवेट रूप में संचालित किया जायेगा तथा विशेष रूप से अन्वेषण द्वारा प्रभावित शिकायतकर्ता तथा लोक कृत्यकारी की पहचान जनता अथवा प्रैस में प्रकट नहीं की जायेगी अथवा किसी भी रीति में अन्वेषण से पूर्व, दौरान अथवा बाद में प्रकाशित नहीं की जाएगी।

(3) यथा उपरोक्त के सिवाय, किसी ऐसे अन्वेषण को संचालित करने के लिये प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि लोकायुक्त मामले की परिस्थितियों के अनुसार समुचित समझता है।

(4) लोकायुक्त, अपने विवेक से, किसी शिकायत के अन्वेषण को इन्कार कर सकता है अथवा अन्वेषण को बन्द कर सकता है, यदि उसकी राय में—

(क) अन्वेषण के लिए अथवा अन्वेषण को जारी रखने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, कोई पर्याप्त आधार नहीं है ; अथवा

(ख) शिकायतकर्ता को अन्य उपचार उपलब्ध हैं तथा मामले की परिस्थितियों के अनुसार शिकायतकर्ता के लिये ऐसे उपचारों को प्राप्त करना अधिक उचित रहेगा।

(5) किसी मामले में जहां लोकायुक्त किसी शिकायत को ग्रहण न करने अथवा किसी शिकायत के सम्बन्ध में अन्वेषण को जारी न रखने का निर्णय लेता है, तो वहां वह उसके लिये अपने कारण अभिलिखित करेगा तथा शिकायतकर्ता तथा सम्बद्ध लोक कृत्यकारी को उसे संसूचित करेगा।

अवशिष्ट शक्तियां। धारा 28(1)

15. लोकायुक्त, उन मामलों में जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, आदेश द्वारा ऐसा उपबंध कर सकता है जो नियमों के उपबंधों के असंगत न हो और ऐसे निर्देश दे सकता है जो अधिनियम, नियमों तथा ऐसे आदेशों, उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

कार्यवाहियों तथा अन्वेषणों को विनियमित करने की शक्तियां। धारा 28(1)

16. अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, लोकायुक्त को उन सभी मामलों में, जो इन नियमों में उपबन्धित नहीं किए गए हैं, कार्यवाहियों, अन्वेषणों तथा जांचों के संचालन को विनियमित करने के लिए शक्तियां होंगी।

प्ररूप-I

[देखिए नियम 3]

लोकायुक्त, हरियाणा के समक्ष शिकायत का प्ररूप

शिकायतकर्ता -- - पुत्र/पुत्री/पत्नी---------------------
-----------(व्यवसाय, निवास इत्यादि का वर्णन जोड़ें) --
----------------- पुत्र/पुत्री/पत्नी ---
कार्यालय में कार्यरत, के विरुद्ध आरोप के मामले में/उपरोक्त नामित शिकायतकर्ता की संतुष्टि हो गई है कि उपरोक्त लोक सेवक—

(i) अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान पहुंचाने के लिये अपनी हैसियत का जानबूझकर या साशय दुरुपयोग किया है; और/या।

(ii) भ्रष्ट उद्देश्यों द्वारा ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन में प्रेरित था; तथा/या

(iii) भ्रष्टाचार का दोषी है; तथा/या .

(iv) अपनी आय के ज्ञात स्त्रोत की सम्पत्ति की अनुपातहीनता में से आर्थिक स्त्रोत उसके कब्जे में हैं तथा ऐसे आर्थिक स्त्रोत या सम्पत्ति व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोक सेवक या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित किये गए हैं/की गई हैं।

(ऐसे खण्ड तथा खण्डों को, जो शिकायत से सुसंगत न हों, काट दें।)

अपराधों के समर्थन के लिये शिकायतकर्ता निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत कर रहा है :—

(1)

(2)

(3)

(4)

शिकायतकर्ता ने किसी अभिकरण/किसी विधि न्यायालय/मामले का निर्णय करने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के द्वारा इसी मामले में किसी उपचार का सहारा लिया है/नहीं लिया है, जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

(ब्यौरे तथा परिणाम, यदि कोई हों, दें।)

शिकायत पर 1000/- रुपए की आवश्यक जमा राशि के मूल्य की न्यायिक स्टाम्प लगाई जाएगी।

प्रार्थना

इसलिये, अब प्रार्थना है, कि उक्त लोक सेवक के विरुद्ध जांच की जाये।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान।

सत्यापन :

मैं.---, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री -- निवासी, --- पैरा-- इसके द्वारा सत्यापित करता हूं कि शिकायत में पैरा ------- से ------- तक मेरे द्वारा बताये गये तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं तथा/अथवा पैरा --------- से ----------- तक मेरे द्वारा बताये गये तथ्य ------------------------ से (नाम दें) तथा/अथवा दस्तावेजों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं तथा उस पर मैं सत्य होने का विश्वास करता हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

प्ररूप-II

[देखिए नियम 3]

टिप्पणी :—यह शपथ-पत्र 3 रुपए के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर तैयार करवाया जाना चाहिए तथा तब इसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से सत्यापित करवाया जाना चाहिए।

शपथ-पत्र का प्ररूप

मैं ------------------------------------- सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री--- व्यवसाय---------------------, निवासी -------------------------------------, तहसील ----------------------, जिला ------------------ इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तथा निम्न प्रकार से कथन करता हूं :—

(1) कि मैं इस मामले में शिकायतकर्ता हूं ;

(2) कि इस शिकायत की विवरणियां मेरे द्वारा पढ़ी गई/मुझे पढ़कर सुनाई गई, जिन्हें सुनकर समझी गई तथा ये मेरी पूरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं ;

(3) कि पैरा -------------- से --------------- तक मेरे द्वारा कथित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं तथा पैरा -------- तक में कथित तथ्य श्री ------------------------------------ द्वारा मुझे दी गई सूचना तथा/या दस्तावेजों पर आधारित हैं, जिस पर मैं सत्य होने का विश्वास करता हूं।

स्थान : ------------------------

दिनांक : अभिसाक्षी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

मेरे सामने शपथ-पत्र पर शपथ ली।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकथन की मेरे सामने 200----- के -------- मास -------------वें दिन को--------- बजे जिला ------------------- में श्री/श्रीमती/कु०------------------------------------ द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान की घोषणा की गई थी जिसको श्री/श्रीमती -- द्वारा पहचान की गई थी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता/जानती है। उपरोक्त शपथ-पत्र की विषय वस्तु अभिसाक्षी को पढ़ाई गई तथा समझाई गई, जिसको उसने ठीक तथा सत्य स्वीकार किया।

स्थान : -----------------------

दिनांक : प्राधिकारी का पद नाम जिसके समक्ष शपथ-पत्र पर शपथ ली है।

प्ररूप संख्या-III

[देखिए नियम 8(1) तथा (2)]

लोकायुक्त के समक्ष साक्ष्य रिकार्ड कराने वाले व्यक्ति को लोकायुक्त के कार्यालय द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारुप।

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैं-------------------------------------- अपनी लोक/ प्राइवेट हैसियत में ----------------------- के मामले में लोकायुक्त के समक्ष साक्ष्य देने के लिए सम्मन किया गया था तथा --------------------------दिन अर्थात् ------------ से ---------- तक की अवधि के लिए उपस्थित होने के लिए अपेक्षित था।

2. आगे प्रमाणित किया जाता है कि उसे प्रयोजन के लिए लोकायुक्त के कार्यालय मे हाजिर होने के लिए नियमों के अनुसार निम्नलिखित राशि भुगतान की गई है :—

(i) यात्रा भत्ता रुपए

(ii) निर्वाह भत्ता रुपए

स्थान --------------

दिनांक -------------

कृते : लोकायुक्त,
हरियाणा।

प्ररूप संख्या-IV

[देखिए नियम 6(2)]

कार्यालय लोकायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़।

कार्यवाही संख्या ---------- ---- दिनांक ----------

सेवा में

श्री/श्रीमती ----------

संदर्भ :— आपकी शिकायत दिनांक ----------

आपकी शिकायत दिनांक ---- ---------- विरुद्ध श्री/श्रीमती ---------- में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं। आपसे अनुरोध किया जाता है कि इन कमियों को पूरा करें तथा इस संसूचना की प्राप्ति के बाद पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर नीचे वर्णित गलतियों का सुधार करें, जिसमें असफल रहने पर आपकी शिकायत का उपलब्ध तात्विक आधार पर निपटान कर दिया जाएगा।

विवरण :—

1. प्ररूप-1 पूरा नहीं भरा है।
2. 1000/- रुपये की विहित फीस का भुगतान किया जाना है।
3. शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
4. विहित प्ररूप-II में शिकायतकर्ता का शपथ-पत्र और/या गवाहों का ब्यौरा संलग्न नहीं किया है।
5. लोक सेवक जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, का पद, नाम तथा पता नहीं दिया गया है।
6. शिकायतकर्ता द्वारा जिन दस्तावेजों को आधार बनाया गया है और जो उसकी अभिरक्षा तथा नियंत्रण में हैं उन दस्तावेजों या उनकी सत्यापित प्रति साथ नहीं लगाई गई है।
7. दस्तावेजों का वर्णन जिनके आधार पर शिकायत की गई है शिकायतकर्ता की अभिरक्षा या नियन्त्रण में नहीं है, के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
8. वांछित दस्तावेजों और शपथ-पत्र की अपेक्षित प्रतियां संलग्न नहीं की गई हैं।
9. अन्य कारण।

भवदीय

रजिस्ट्रार,
कृते: लोकायुक्त, हरियाणा।

प्ररूप संख्या-V

[देखिए नियम 6(4)]

कार्यालय लोकायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़।

कार्यवाही संख्या ---------- दिनांक ---

सेवा मे

श्री/श्रीमती ----

संदर्भ :— आपकी शिकायत दिनांक ----

आपकी शिकायत दिनांक ---------- जिसमें श्री/श्रीमती ---के विरुद्ध लगाए गए हैं नीचे वर्णित कारणों से रद्द की जाती है।

शिकायत रद्द करने के कारण :—

1. जो त्रुटियां और/या कमियां कार्यवाही संख्या----------दिनांक---------- में पाई गई थीं वह आप द्वारा दूर नहीं की गई हैं।
2. शिकायत ऐसे किसी आरोप का खुलासा नहीं करता जिसकी अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा की जा सके।
3. शिकायत का अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
4. शिकायतकर्ता के पास अन्य उपचार उपलब्ध हैं और मामले की परिस्थितियों के अनुसार यह उचित होगा कि शिकायतकर्ता ऐसे उपायों का प्रयोग करे।
5. लोक सेवक जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, लोकायुक्त द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती है।
6. शिकायत ऐसे मामले में, जिसे घटित हुए छः वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, के बाद की गई है।
7. पूर्व शिकायत जो कि उन्हीं दोषों पर आधारित थी जो वर्तमान शिकायत में लगाए गए है, लोकायुक्त या अन्य प्राधिकारी- ----------द्वारा कार्यवाही संख्या ----- दिनांक ----------द्वारा निपटाई जा चुकी है।
8. 1000/- रुपये की विहित फीस का भुगतान नहीं किया गया है।

लोकायुक्त, हरियाणा।

प्ररूप संख्या-VI

[देखिए नियम 14(1)(क)]

लोकायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ की कार्यवाही

संख्या ---------- दिनांक----------

सेवा में

श्री/श्रीमती ----------

संदर्भ :— शिकायत संख्या ---------- दिनांक ---------- 200 .

उपरोक्त शिकायत के प्रारम्भिक सत्यापन के बाद माननीय लोकायुक्त इसके अन्वेषण के संचालन के लिए प्रस्तावित करते हैं। इसलिए आपको अपनी टीका टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है :

(i) शिकायतकर्ता द्वारा श्री/श्रीमती ----------के विरुद्ध भेजी गई शिकायत दिनांक ---------- की एक प्रति तथा उस द्वारा दिए गए शपथ पत्रों की प्रतियां संलग्न की जा रही हैं;

(ii) संलग्न ब्यान जिसमें आपके विरुद्ध दोष लगाया गया है, में दिए गए तथ्यों के आधार पर माननीय लोकायुक्त स्वप्रेरणा से इसमे वर्णित आधारों के लिए अन्वेषण करने का प्रस्ताव करते हैं;

(iii) कार्य, जिसके सम्बन्ध में महामहिम हरियाणा के राज्यपाल अपेक्षा करते हैं कि माननीय लोकायुक्त संलग्न प्रति के अनुसार अन्वेषण का संचालन करें।

इसलिए आप जिन गवाहों की जांच करना चाहते हैं तथा अन्वेषण में आगे कार्यवाही करने से पूर्व आदेश दिए जाते हैं कि उनके मूल दस्तावेजों सहित (तीन प्रतियों में) उपरोक्त अनुसार ----------को 10.30 प्रातः माननीय लोकायुक्त महोदय के कार्यालय में जांच शुरु होने से पहले प्रस्तुत करें।

आप किसी और लोक सेवक या कानूनी सलाहकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

यदि आप पूर्वोक्त रीति में पेश होने में तथा यथा-पूर्वोक्त अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो आगे अन्वेषण उपलब्ध तात्विक आधारों पर किया जाएगा।

रजिस्ट्रार,

कृते: लोकायुक्त, हरियाणा।

अनुसूची

(देखिए नियम 11)

अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द की भर्ती/नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तों की प्रक्रिया

लोकायुक्त के कर्मचारीवृन्द की संख्या तथा गठन।

1. लोकायुक्त के कर्मचारीवृन्द की संख्या तथा गठन पदों की ऐसी संख्या तथा ऐसे वेतनमान से मिलकर किया जाएगा जो परिशिष्ट 'क' मे प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट किए गए हैं :

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले सृजित नए पद स्थाई तथा अस्थाई रूप से बनाने के राज्य सरकार के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अन्य नियमों को लागू करना।

2. (क) किसी मामले के सम्बन्ध में जिसके लिए इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया। लोकायुक्त के कर्मचारीवृन्द के पदों पर भर्ती/नियुक्ति तथा सेवा पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेश लागू होंगे।

(ख) लोकायुक्त के अमले में किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अन्य समकक्ष नियुक्तियों पर आसीन सरकारी कर्मचारियों के बारे में समय-समय पर जारी किए गए सामान्य नियमों तथा सामान्य आदेश मे हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

3. सेवा में सभी पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से लोकायुक्त द्वारा की जाएगी।

भर्ती/नियुक्ति का ढंग तथा न्यूनतम योग्यताएं।

4. परिशिष्ट 'क' में विनिर्दिष्ट पद के प्रत्येक प्रवर्ग के सम्बन्ध में, लोकायुक्त के अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द की भर्ती/नियुक्ति का ढंग तथा उनकी न्यूनतम योग्यताएं होगी जो परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

परिवीक्षा।

5. (1) सेवा मे किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि-परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा मे, सेवा मे नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसकी ऐसे स्थानापन्न

रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो वह :—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्टि कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी पुष्टि स्थाई रिक्ति की उत्पत्ति की तिथि से पुष्टि कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया है तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था ·

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

6. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता, ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

7. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाएं या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाएं या बनाए जाएं।

अनुशासन शास्तियां तथा अपीलें।

8. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी शास्तियां लगाने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी लघु दण्ड के मामले मे लघु शास्तियां लगाने की शक्ति प्रधान सचिव को प्रायोजित कर सकता है।

(2) उन मामलों में जहां शस्तियां लोकायुक्त द्वारा लगाई गई हैं, वहां अपीलीय प्राधिकारी सरकार होगी।

(3) अपीलीय प्राधिकारी उन मामलों में जहां लघु शास्तियां, लोकायुक्त से निम्न किसी प्राधिकारी द्वारा लगाई गई हैं, वहां अपीलीय प्राधिकारी लोकायुक्त होगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

9. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

10. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपलब्ध उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां यह कारण लिख कर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

आरक्षण।

11. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।